

16/2/16

समाहरणालय, मधेपुरा।

(आपूर्ति शाखा)

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में जन वितरण प्रणाली दुकानों की नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु प्रखंडवार/पंचायतवार/नगर निकायवार/वाईवार एवं कोटिवार रिक्ति संबंधी विवरणी निर्गत किया जा चुका है। जन वितरण प्रणाली दुकानों के रिक्त पदों को अविलंब भरने के लिए सभी आवश्यक प्रक्रिया को पूरा करने हेतु निम्नरूपेण समय सीमा का निर्धारण किया जाता है:-

क्र०	कार्यक्रम	निर्धारित अवधि	कुल अवधि	कार्यालय
1	2	3	4	5
1	विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त करने की अवधि	05.02.2016 से 24.02.2016 तक	20 दिन	अनु०कार्या०
2	आवेदन की सूची प्रकाशित करने की तिथि	25.02.2016	01 दिन	अनु०कार्या०
3	आवेदन के विरुद्ध दावा/आपत्ति प्राप्त करने की अवधि	26.02.2016 से 03.03.2016 तक	07 दिन	अनु०कार्या०
4	आवेदनों की जाँच/दावा आपत्ति का निराकरण करने की अवधि	26.02.2016 से 10.03.2016 तक	16 दिन	प्र०आ०पदा०/ प्राधिकृत पदा०
5	अनु०पदा० द्वारा के द्वारा जिला आपूर्ति कार्यालय को अनुशंसा सहित आवेदन/सूची भेजने की अवधि	11.03.2016 से 14.03.2016 तक	04 दिन	अनु०कार्या०
6	जिला आपूर्ति कार्यालय द्वारा अनु० पदा० से अनुशंसा सहित प्राप्त आवेदन की जाँच/संचिका तैयार करना	15.03.2016 से 21.03.2016 तक	07 दिन	जि०आ० कार्या०
7	जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक की तिथि	28.03.2016	01 दिन	जि०आ० कार्या०
8	जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा चयनित आवेदकों की सूची/बैठक की कार्यवाही संबंधित पदाधिकारी को भेजने की अवधि।	30.03.2016 से 31.03.2016 तक	02 दिन	जि०आ० कार्या०
9	चयनित आवेदकों को अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अवधि	01.04.2016 से 10.04.2016 तक	10 दिन	अनु०कार्या०
10	प्र०आ०पदा०के द्वारा नई अनुज्ञप्तिधारी को वाईवार लाभको को टैग करना एवं आवंटन निर्गत करना	11.04.2016 से 20.04.2016 तक	10 दिन	प्र०आ०पदा०

3. अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को निदेश दिया जाता है कि वे विहित प्रपत्र में सीधे जमा करने वाले आवेदकों को पावती रसीद देंगे। पावती रसीद पर आवेदन सं० एवं आवेदन प्राप्त करने वाले कर्मों का पूर्ण हस्ताक्षर/पदनाम सहित कार्यालय का मुहर होगा।

4. अनुमंडल पदाधिकारी प्रत्येक दिन प्राप्त होने वाले आवेदन को अपने स्तर से पर्यवेक्षण करते रहेगे एवं इसकी जाँच विभागीय निदेश के अनुरूप निर्धारित सभी अहता के अनुसार कराएंगे, ताकि भविष्य में किसी प्रकार व्यवधान उत्पन्न न हो।

5. अनुमंडल पदाधिकारी निर्धारित तिथि 25.02.2016 के 10:30 बजे पूर्वाह्न तक आवेदकों से कुल प्राप्त आवेदनों से संबंधित विवरणी (यथा-प्रखंडवार/पंचायतवार अथवा नगर निकायवार /वाईवार/ कोटिवार/

